न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या/26/ 2023(GCMS : 2023/980)

ए यू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001, शाखा कार्यालय–4–ई–8–जवाहरनगर, प्रथम तल, मीरा चौंक रोड नजदीक गौड हास्पीटल, श्रीगंगानगर, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता –पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. **करण कुमार** पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी वार्ड नं. 4, चक 4 जैड सैकण्ड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर– मूल ऋणी।
2. **श्रीमती रेखा पत्नी** श्री करण कुमार निवासी वार्ड नं. 4, चक 4 जैड सैकण्ड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर–सह ऋणी।
3. **श्रीमती चिडिया देवी** पत्नी श्री ओमप्रकाश निवासी वार्ड नं. 4, चक 4 जैड सैकण्ड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर–सह ऋणी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण करण कुमार, रेखा, व चिड़िया देवी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 2,00,000/–लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.03.2023 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी चिड़िया देवी **द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 67,बुक नं. 302(880 सक्वायर फीट), ग्राम पंचायत 4 जैड, पंचायत समिति श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया जो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण करण कुमार, श्रीमती रेखा व श्रीमती चिड़िया को** ऋण सुविधा के रूप में **2,00,000**/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख मात्र) की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

राशि की स्वीकृति दिनांक 31.03.2022 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी चिड़िया देवी ने अपनी **आवासीय अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 67,बुक नं. 302(880 सक्वायर फीट), ग्राम पंचायत 4 जैड, पंचायत समिति श्रीगंगानगर**, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.03.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 14.03.2023** को जारी कर दिनांक 16.03.2023 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी चिड़िया देवी की **आवासीय अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 67,बुक नं. 302(880 सक्वायर फीट), ग्राम पंचायत 4 जैड, पंचायत समिति श्रीगंगानगर**, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.03.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 14.03.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण दिनांक 16.03.2023 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है,जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी चिड़िया देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक, ए यू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी चिड़िया देवी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 67,बुक नं. 302(880 सक्वायर फीट), ग्राम पंचायत 4 जैड, पंचायत समिति श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:11 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर